


कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बहरोड़

कमांक :

दिनांक:.....

भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र

सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड बहरोड़ द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय सेठ राजनारायण गुप्ता महिला विधि महाविद्यालय भीटेड़ा, तहसील बहरोड़ (अलवर) के भवन का निरीक्षण करने पर उपखण्ड बहरोड़ के पत्रांक 201 दिनांक 01.09.2017 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उक्त विद्यालय/महाविद्यालय के भवन का सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राकृतिक आपदाओं (भूकम्प, अतिवृष्टि, बिजली, आदि) को छोड़कर संरचनात्मक (Structurally) दृष्टि से आगामी एक वर्ष के लिए जारी किया जाता है।



(धर्मसिंह यादव)
तकनीकी सहायक
एवं सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड बहरोड़

कमांक 196०

दिनांक 08/9/17

प्रतिलिपि श्रीमान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्राचार्य श्री धर्मचन्द्र गांधी जैन राजकीय महाविद्यालय बहरोड़ (अलवर) को उनके पत्रांक 867 दिनांक 08.08.2017 के सन्दर्भ में।
2. सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड बहरोड़ को उनके पत्रांक 201 दिनांक 01.09.2017 के संदर्भ में
3. प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/व्यवस्थापक सेठ राजनारायण गुप्ता महिला विधि महाविद्यालय भीटेड़ा, तहसील बहरोड़ (अलवर) को सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त भवन की समय समय पर मरम्मत रंगाई पुताई का कार्य करवाया जावे तथा पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की जावे। अग्निशमन यंत्र एवं विद्यालय भवन के मुख्य द्वार एवं कक्षा कक्षों के प्रवेश एवं बाहर आने हेतु अलग-2 दरवाजे होने आवश्यक है। उक्त निर्देशों की पालना कर एक माह में इस कार्यालय को अवगत करावे अन्यथा निर्देशों की पालना के अभाव में विद्यालय भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।


(धर्मसिंह यादव)
तकनीकी सहायक
एवं सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड बहरोड़